धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 130/2019(GCMS: **2019/00221) राज्य सरकार** जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर **बनाम कालूराम पुत्र चेनराम** निवासी 84 आर**बी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) एवं बलराम पुत्र** किशनाराम निवासी **84 आरबी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी कालूराम एवं बलराम के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है कि :

श्री भूपेन्द्र सिंह, थानाधिकारी, पुलिस थाना, गजसिंहपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11.09.2016 को 10:50 पीएम पर वृताधिकारी, श्रीकरणपुर श्री सुनील के. पंवार थानाधिकारी, पुलिस थाना गजसिंहपुर श्यामसुन्दर उनि थानाधिकारी ने दूरभाष पर इतला दी की गांव मोटासर खूनी से एक जीप में दो व्यक्ति अवैध तौर पर केरोसीन डालकर बेचने के लिए गजसिंहपुर की तरफ जायेगे। इतला के अनुसार वृताधिकारी मय स्टाफ सरकारी गाडी में रवाना हो, मोटासरखूनी से कुछ दूरी पर एफ एफ नहर पर 11.15 पीएम पर पहुंचे। वहां थानाधिकारी मय स्टाफ नाकांबदी करते मिले। एफएफ नहर पर एक जीप रोकी,जिसमें दो व्यक्ति सवार थे जिनमें एक चालक व दूसरा पास वाली सीट पर बैठा था। **जीप का नम्बर RJ-07/C-0754** लिखा था। नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम कालूराम पुत्र चेनराम जाति जाट निवासी 84 आरबी थाना रायसिंहनगर व साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बलराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी 84 आरबी थाना रायसिंहनगर बताया। जीप को चैक किया तो पाया कि जीप के पीछे दो लोहे के ड्रम रखे हुए है। जिनको खोलकर चैक करने पर दोनों ड्रमों में हल्के नीले रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ है। जिसको सूंघने पर केरोसीन की गंध आ रही थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त भरे ड्रमों के बारे में पूछने पर दोनों व्यक्तियों कालूराम व बलराम ने दोनों ड्रमों मे केरोसीन भरा होना व **मोटासरखूनी के राजाराम लेघा पुत्र भगवानाराम लेघा, राशन डीलर से खरीद कर लाना बताया।** प्रत्येक ड्रम में 200–200 लीटर कुल 400 लीटर केरोसीन **दोनों ड्रमों को दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपने कब्जा में रखने, बेचान व परिवहन करने से संबंधित लाईसेंस/परमिट पूछने पर उनके द्वारा अपने पास होने से इन्कार किया।** चूंकि उक्त 400 लीटर केरोसीन को अवैध तौर पर अपने कब्जे में रखकर परिवहन करना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष समस्त कार्यवाही करते हुए तरल पदार्थ के सेम्पल लिये गये व केरोसीन मय ड्रम एवं जीप को जब्त किया। दोनों मुल्जिमान कालूराम व बलराम को गिरफ्तार करते हुए दोनों मुल्जिमान व जब्तशुदा केरोसीन मय ड्रम एवं जीप को थानाधिकारी थाना गजसिंहपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द जब्ती/जांच से कालूराम व बलराम द्वारा अवैध तौर पर 400 लीटर केरोसीन को अपने कब्जे में रख जीप में परिवहन किया जा रहा था तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।

इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बिना **किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के 400 लीटर नीला केरोसीन परिवहन/ भण्डारण करके आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने KEROSENE (RESTRICATOIN ON USE & FIXATION OF CEILING PRICE) 1993 के क्लाज 3(1) व राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुंए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3(2) की अवहेलना करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत एफआईआर संख्या 136/2016 पुलिस थाना गजसिंहपुर में दर्ज की गई है और** अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] एवं जीप नम्बर RJ-07/C-0754 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने अपनी बहस कथन किया था कि दिनांक 11.09.2016 को थानाधिकारी, गजसिंहपुर द्वारा अप्रार्थीगण के पास से 400 लीटर केरोसीन जब्त किय गया है जबकि **दी पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अनुसार "बी श्रेणी" के उत्पाद में 2500 लीटर तक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं** होती है। इसलिए जब्तशुदा केरोसीन को मुक्त किये जाने के आदेश दिये जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि मौके पर कालूराम और बलराम से 400 लीटर केरोसीन को जब्त सरकार किया गया है। दौरान जांच कालूराम और बलराम के पास **बेचान व परिवहन करने से संबंधित लाईसेंस/परमिट पूछने पर उनके द्वारा अपने पास होने से इन्कार किया।** इसलिए बिना **किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के 400 लीटर नीला केरोसीन परिवहन/भण्डारण करके आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने KEROSENE (RESTRICATOIN ON USE & FIXATION OF CEILING PRICE) 1993 के क्लाज 3(1) व राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुंए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3(2) की स्पष्ट उल्लंधना है। इसलिए अप्रार्थीगण से जब्तशुदा 400 लीटर नीला केरोसीन एवं जीप नम्बर RJ-07/C-0754 राजसात करने योग्य है।**

उनका आगे कथन था कि KEROSENE (RESTRICATOIN ON USE & FIXATION OF CEILING PRICE) 1993 के क्लाज 3(1) के अनुसार नीला केरोसीन का बेचान व परिवहन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राशन डीलर के माध्यम से ही किया जा सकता है, अन्य व्यक्ति नीले केरोसीन का बेचान, परिवहन और विक्रय नहीं कर सकते है। इसलिए अप्रार्थीगण से जब्तशुदा 400 लीटर नीला केरोसीन एवं जीप नम्बर RJ-07/C-0754 राजसात करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:37:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास **द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया** एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 11.09.2016 को 10:50 पीएम पर वृताधिकारी, श्रीकरणपुर श्री सुनील के. पंवार थानाधिकारी, पुलिस थाना गजसिंहपुर श्यामसुन्दर उनि थानाधिकारी ने दूरभाष पर इतला दी की गांव मोटासर खूनी से एक जीप में दो व्यक्ति अवैध तौर पर केरोसीन डालकर बेचने के लिए गजसिंहपुर की तरफ जायेगे। इतला के अनुसार वृताधिकारी मय स्टाफ सरकारी गाडी में रवाना हो, मोटासरखूनी से कुछ दूरी पर एफएफ नहर पर 11.15 पीएम पर पहुंचे। वहां थानाधिकारी मय स्टाफ नाकांबदी करते मिले। एफएफ नहर पर एक जीप रोकी, जिसमें दो व्यक्ति कालूराम पुत्र चेनराम चालक व दूसरा व्यक्ति बलराम पुत्र किशनाराम सवार थे। स्लेटी रंग की जीप संख्या **RJ-07/C-0754** के पीछे दो लोहे के ड्रम रखे हुए है। जिनको खोलकर चैक करने पर दोनों ड्रमों में हल्के नीले रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ है। जिसको सूंघने पर केरोसीन की गंध आ रही थी। उक्त भरे ड्रमों के बारे में पूछने पर दोनों व्यक्तियों कालूराम व बलराम ने दोनों ड्रमों मे केरोसीन भरा होना व मोटासरखूनी के राजाराम लेघा पुत्र भगवानाराम लेघा, राशन डीलर से खरीद कर लाना बताया। प्रत्येक ड्रम में 200–200 लीटर कुल 400 लीटर केरोसीन **दोनों ड्रमों को दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपने कब्जा में रखने, बेचान व परिवहन करने से संबंधित लाईसेंस/परमिट पूछने पर उनके द्वारा अपने पास होने से इन्कार किया।** उक्त 400 लीटर केरोसीन को अवैध तौर पर अपने कब्जे में रखकर परिवहन करना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष समस्त कार्यवाही कर [illegible] पदार्थ के सेम्पल लिये गये व केरोसीन मय ड्रम [illegible] किये। दोनों मुल्जिमान कालूराम व बलराम को गिरफ्तार [illegible] मुल्जिमान व जब्तशुदा केरोसीन मय ड्रम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

एवं जीप को थानाधिकारी थाना गजसिंहपुर की सुर्पुदगी में दिया गया। फर्द जब्ती/जांच से कालूराम व बलराम द्वारा अवैध तौर पर 400 लीटर केरोसीन को अपने कब्जे में रख जीप में परिवहन किया जा रहा था तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। **इस प्रकार अप्रार्थीगण** द्वारा बिना **किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के 400 लीटर नीला केरोसीन परिवहन/ भण्डारण करके आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने KEROSENE (RESTRICATOIN ON USE & FIXATION OF CEILING PRICE) 1993 के क्लाज 3(1) व राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुंए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3(2) की अवहेलना करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत एफआईआर संख्या 136/2016 पुलिस थाना गजसिंहपुर में दर्ज की गई है और** अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जब्तशुदा 400 लीटर केरोसीन एवं जीप नम्बर RJ-07/C-0754 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई [illegible] से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध [illegible] साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थीगण कालूराम एंव बलराम द्वारा 400 लीटर केरोसीन का बिना किसी लाईसेंस/परमिट के अपने कब्जे में रखकर, बेचान एवं परिवहन किया जा रहा है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने KEROSENE (RESTRICATOIN ON USE & FIXATION OF CEILING PRICE) 1993 के क्लाज 3(1) की स्पष्ट उल्लंधना है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने KEROSENE (RESTRICATOIN ON USE & FIXATION OF CEILING PRICE) 1993 के क्लाज 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> 3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय किए गए केरोसिन के उपयोग पर निर्बन्धन :
>
> (1) कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय किए गए केरासिन का उपयोग खाना पकाने और प्रदीपन (cooking and illumination) से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, परन्तु यह कि केन्द्रीय या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को आदेश द्वारा केरोसिन का ऐसे अन्य प्रयोजनों क लिए, जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करें, उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी।
>
> (2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त कोई व्यौहारी या परिवाहक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जिसके लिए प्रदाय अभिप्रेत है, केरोसिन का विक्रय, वितरण या प्रदाय नहीं करेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:37:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नीले केरोसीन का भण्डारण और बेचान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकृत डीलर के माध्यम से ही किया जा सकता है, प्राधिकृत धारक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति नीले केरोसीन का भण्डारण, विक्रय अथवा परिवहन नहीं कर सकता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा 400 लीटर केरोसीन के अपने कब्जे रखकर, बेचान एवं परिवहन कर **राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक** वस्तुंए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3(2) की स्पष्ट उल्लंधना है, जो निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> 3. प्राधिकार जारी करना :
>
> (1) ....
>
> (2) प्राधिकार धारक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस आदेश या किसी भी अन्य आदेश के अधीन वितरण के लिए सरकार द्वारा प्रदाय किये गये खाद्यान्नों या अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने **KEROSENE (RESTRICATOIN ON USE & FIXATION OF CEILING PRICE) 1993** के क्लाज 3(1) व राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुंए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3(2) की स्पष्ट उल्लंधना के कारण अप्रार्थीगण से जब्तशुदा 400 लीटर नीला केरोसीन एवं जीप नम्बर **RJ-07/C-0754** राजसात किये जाते है।

चूंकि जब्तशुदा केरोसीन ज्वलनशील द्रव्य है व इसमें छिजत होने की संभावना है इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 400 लीटर केरोसीन के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश थानाधिकारी, गजसिंहपुर दिये ... अब उक्त राजसात किये गये 400 लीटर केरोसीन की विक्रय ... राशि ... में राजकोष में जमा करवाने के लिए थानाधिकारी, गजसिंहपुर को आदेश दिये जाते है।

उक्त जब्तशुदा वाहन **RJ-07/C-0754** केरोसीन के अवैध कारोबार में लिप्त पाये गये है इसलिए माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन जीप नम्बर RJ-07/C-0754 का अनुमानित बाजार भाव 40,000/— रूपये है। इसलिए वाहन पर 35000/— जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर/थानाधिकारी, गजसिंहपुर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहन को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राशन डीलर के विरूद्ध कार्रवाई अलग—अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राशन डीलर के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला रसद विभाग सक्षम है।

उक्त प्रकरण में 400 लीटर केरोसीन को राजसात करने के आदेश दिये गये है जबकि अप्रार्थीगण के अनुसार उक्त 400 लीटर केरोसीन मोटासर खूनी के राजाराम लेघा पुत्र भगवानाराम लेघा, राशन डीलर से खरीद कर लाना बताया है, इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त 400 लीटर केरोसीन के सम्बन्ध में मोटासर खूनी के राजाराम लेघा पुत्र भगवानाराम लेघा, राशन डीलर की जांच के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हो तो वह अपने स्तर पर करें। उक्त जांच सम्बन्धी कार्रवाई को इस प्रकरण से अलग किया जाकर जारी रखी जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना गजसिंहपुर को भी भेजे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:45 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर